दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

पत्रांक: दीदउ गोविवि/सम्बद्धता/2016/19-1420 दिनांक: 20/10/2016

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर

विषय:– विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2016 में पारित आदेश एवं उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति में रक्त सम्बन्धी/ नातेदार/ रिश्तेदार के प्रकरण पर महाविद्यालय की आख्या के आधार पर प्रबन्ध समिति का निस्तारण निर्धारित अवधि तीन महीने के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा निराकरण कराने की शर्त पर शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी।

शासन के पत्र के आलोक में प्रकरण को सम्बद्धता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा सम्बद्धता समिति की संस्तुति को माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.09.2016 में रखा गया विचारोपरान्त माननीय कार्यपरिषद द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन *विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बीकाम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में* दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में रक्त सम्बन्धी/रिश्तेदार/नातेदार होने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित अवधि तीन माह के अन्दर निराकरण कराने की शर्त पर ही उपरोक्त सम्बद्धता प्रदान की गयी है यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्त का निराकरण निर्धारित अवधि में नहीं कराया जाता है तो प्रदान की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त हो जायेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
3. अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ताओं का कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था शासनादेश संख्या–2651/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
8. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
9. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
10. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
11. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
12. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
13. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
14. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
15. ए0आई0एस0एच0ई0 सत्र 2016–17 का फार्म महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार पूरित नहीं करने पर महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लेने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2016/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2016 / (288) / 1781 दिनांक 15 / 12 / 2016

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य
विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर।

विषय : विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अनिधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 1420 दि0 20 अक्टूबर, 2016 द्वारा विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन दिनांक 01 जुलाई, 2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधित अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत दी गयी सम्बद्धता तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 21.10.2016 को प्रस्तुत पत्र के दृष्टिगत कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01 जुलाई, 2016 से आगामी एक वर्ष हेतु कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है–

1. विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 1420 दि0 20 अक्टूबर, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह कक्षा संचालन है, जिसमें इंगित कमियों *(यथा– प्राचार्य अनुमोदित नहीं हैं, बी0काम0 पाठ्यक्रम में एक प्रवक्ता का चयन अनुमोदन वांछित है की पूर्ति 15 दिसम्बर, 2016 तक उपलब्ध कराने की शर्त पर, अन्यथा की स्थिति में संदर्भित विषयों की परीक्षा नहीं करायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी)* की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्राविधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
13. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2015–16 एवं 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय / परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव (परीक्षा सामान्य), दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. उपकुलसचिव (कमेटी) को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय / गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव